भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 814
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

टायर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

814. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नवम्बर 2012-अगस्त 2013 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को वेतन की देय राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): सरकार ने टीसीआईएल के स्थायी कर्मचारियों को नवंबर, 2012 से अगस्त, 2013 तक के लिए वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयों के भुगतान का अनुमोदन किया था। इस बीच, बेजमानती ऋणदाताओं द्वारा दायर मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.11.2013 के अपने निर्णय के द्वारा कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। अतः कंपनी को स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी थी और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। सरकार ने दिनांक 29.11.2013 के निर्णय पर स्थगन आदेश के लिए कोलकाता न्यायालय में एक अपील दायर की थी। आवेदन को न्यायालय के दिनांक 07.08.2014 के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया है।

****